

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-01/2023)/अलेसे-III/7632

दिनांक:- 23/09/25

कार्यालय आदेश

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के आधार पर निम्नांकित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	शैक्षणिक पाठ्यक्रम/ परीक्षा का नाम	शैक्षणिक पाठ्यक्रम/ परीक्षा का नाम	पदस्थापन कार्यालय
1.	रविन्द्र सिंह (रोल नं. 700055) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)	लाइब्रेरी एवं इन्फॉर्मेशन साइंस (BLIS) (एक वर्षीय) सत्र 2025-26	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश)	अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-01/2023)/अलेसे-III/7632

दिनांक:- 23/09/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।
2. श्री रविन्द्र सिंह (रोल नं. 700055) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)